रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 1983/ज्यैष्ठ 27, 1905
No. 264] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 1983/JYAISTHA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 जून, 1983

का० आ० 435 (अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12016/48/82—प्रो० दिनांक 15/10/1982 द्वारा का० आ० 746 (अ) की संलग्न अनुसूची में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) दिनांक 15/10/1982 में पृष्ठ संख्या 1 पर प्रकाशित गांव नागांव, तालुका उरण जिला रायगड, महाराष्ट्र राज्य के लिये ।

पढ़े		के स्थान पर	
सर्वेक्षण नंबर	क्षेत्र हे० आर० से	सर्वेक्षण नंबर	क्षेत्र हे० आर० से
57 अ/1/1	0-01.6	57 अ/1	0-01.6

[सं० 12016/48/82-प्रोड]

पी० पी० खन्ना, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983